भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय,

शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल – 17

Phone : 2661263,2737446 **Fax**: 2661263 **Website**:bsgmp.net **E_mail**:scoutguide_bpl@dataone.in

क्र0 / 657 / रा0मु0 / 2013 भोपाल, दिनांक 30.04.2013

प्रतिष्ठा में,

श्रीमती / सुश्री / श्रीमान.....

.....

.....

विषय :– दिनांक 30 मार्च–2013 को आयोजित कार्यकारिणी की बैठक का कार्यवाही विवरण।

———

माननीय,

उपरोक्त विषयांतर्गत दिनांक 30 मार्च–2013 को भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय, भोपाल में आयोजित राज्य कार्यकारिणी की बैठक का कार्यवाही विवरण आपकी ओर सादर प्रेषित ।

संलग्न :– कार्यवाही विवरण

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

दिनांक 30 मार्च 2013 को आयोजित राज्य कार्यकारिणी की बैठक का कार्यवाही विवरण

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. **राज्य कार्यकारिणी** की बैठक दिनांक **30 मार्च 2013** को दिन **शनिवार, दोपहर 12:00** बजे **राज्य मुख्यालय, भोपाल** के सभाग्रह में **माननीय श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला, राज्य मुख्य आयुक्त,** भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, बैठक में अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुये :–

क्र.	पदाधिकारी का नाम	पद
01.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	राज्य मुख्य आयुक्त
02.	श्री के.पी.सिंह	राज्य आयुक्त–स्काउट
03.	श्रीमती लता गुड्डू वानखेड़े	राज्य आयुक्त–गाइड
04.	श्री प्रदीप वैश्य	राज्य कोषाध्यक्ष
05.	श्री जी.आर.शर्मा	राज्य सचिव
06.	श्रीमती अनिता अंकुलनेरकर	संयुक्त राज्य सचिव
07.	श्री उमेश शुक्ला	सहायक राज्य आयुक्त (स्काउट)
08.	श्री भवानी शंकर शर्मा	सहायक राज्य आयुक्त (स्काउट)
09.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	सहायक राज्य आयुक्त (स्काउट)
10.	डॉ रमाशंकर तिवारी	सहायक राज्य आयुक्त (स्काउट)
11.	श्री रमेश चन्द्र शर्मा	सहायक राज्य आयुक्त (स्काउट)
12.	श्री अनिल सेठी	सहायक राज्य आयुक्त (स्काउट)
13.	श्री विकास जोशी	सहायक राज्य आयुक्त (स्काउट)
14.	श्रीमती जे.एस.विल्सन	सहायक राज्य आयुक्त (गाइड)
15.	श्रीमती रमा मिश्रा	सहायक राज्य आयुक्त (गाइड)
16.	श्रीमती रेशु रजावत	सहायक राज्य आयुक्त (गाइड)
17.	श्रीमती माया तिवारी	सहायक राज्य आयुक्त (गाइड)
18.	श्री आलोक खरे	हेडक्वार्टर कमिश्नर (स्काउट)
19.	श्री वेद आशीष आर्य	हेडक्वार्टर कमिश्नर (स्काउट)
20.	श्री अनिल जैन	हेडक्वार्टर कमिश्नर (स्काउट)
21.	श्री प्रकाश दिसोरिया	राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट)
22.	श्रीमती चंद्रकांता उपाध्याय	राज्य संगठन आयुक्त (गाइड)
23.	श्री रामनरेश तिवारी	राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट)
24.	डॉ रमाशंकर तिवारी	जिला मुख्य आयुक्त–प्रतिनिधि
25.	श्री भंवर शर्मा	जिला मुख्य आयुक्त–प्रतिनिधि
26.	श्रीमती आबिदा रजा	जिला कमिश्नर(गाइड)–प्रतिनिधि
27.	श्री विनोद मालवीय	ग्रुप स्काउटर–प्रतिनिधि
28.	श्रीमती मंजू मालवीय	ग्रुप गाइडर–प्रतिनिधि
29.	श्री आर के तिवारी	लीडर ट्रेनर–स्काउट
30.	श्रीमती विजया गहलोत	लीडर ट्रेनर–गाइड
31.	श्री शैलेन्द्र तिवारी	सहयोजित सदस्य
32.	श्रीमती अनित्या सिंह	सहयोजित सदस्य

विशेष आंमत्रित सदस्य

01	श्री प्रकाश हेडाऊ	उपाध्यक्ष, भा.स्का.एवं गा.म.प्र.
02	श्रीमती सरोज राजपूत	उपाध्यक्ष, भा.स्का.एवं गा.म.प्र.
03	श्री डी.एस.राघव	पूर्व राज्य मुख्य आयुक्त
04	श्री गोवर्धन जायसवाल	शामगढ़, मंदसौर
05	श्री एन डी वैष्णव	मंदसौर ।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

06	**श्री जी.डी.ताम्रकार**	**लेखाधिकारी, भा.स्का.एवं गा.म.प्र.**
07.	**श्री पी.एल.अहिरवार**	**सलाहकार, भा.स्का.एवं गा.म.प्र.**
08.	**श्री देवीसिंह ठाकुर**	**जिला सचिव, जिला संघ, इंदौर**

राज्य सचिव द्वारा दी गई गणपूर्ति (कोरम) की सूचना के पश्चात ईश प्रार्थना के साथ बैठक प्रारंभ हुई, राज्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के निर्वाचन पश्चात् नवनियुक्त कार्यकारिणी की यह प्रथम बैठक है । उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत एवं अभिनंदन है ।राज्य मुख्य आयुक्त, एवं उपस्थित वरिष्ठ पदाधिकारियों का पुष्पहार एवं पुष्पगुच्छ से संस्था के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सभा की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

बैठक प्रारंभ होने पर नवनियुक्त राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की सूची प्रजेंटेशन के माध्यम से प्रदर्शित की गई जो निर्विरोध/निर्वाचित हुये हैं एवं अन्य पदाधिकारी जिनका मनोनयन राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा किया गया, उक्त सूची का कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा करतल ध्वनि से स्वागत किया गया।

राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला, रा.मु.आ., राज्य मुख्यालय भोपाल को राज्य मुख्य आयुक्त पद हेतु भेजा गया वारंट पूर्व राज्य मुख्य आयुक्त श्री डी.एस.राघव के कर कमलों से प्रदान किया गया । सदस्यों ने हर्षध्वनि से राज्य मुख्य आयुक्त को बधाई दी ।

बिन्दु क्र.–1 – गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि –

दिनांक **01 दिसंबर 2012 एवं दिनांक 24 जनवरी 2013** को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी की बैठक का कार्यवाही विवरण राज्य सचिव द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सदन से पुष्टि चाही गई । **निर्णय:–सदन ने सर्वानुमति से कार्यवाही विवरण की पुष्टि की ।**

बिन्दु कृ–2 – गत बैठक के पालन प्रतिवेदन की पुष्टि :–

राज्य सचिव द्वारा दिनांक **01 दिसंबर 2012 एवं दिनांक 24 जनवरी 2013** को आयोजित राज्य कार्यकारिणी की बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन समक्ष के समक्ष प्रस्तुत करते हुये कहा उसकी एक प्रतिलिपि सदस्यों के पास उपलब्ध है कृपया माननीय सदस्य अवलोकन भी करें एवं चर्चा कर सकते हैं ।

निर्णय :– सामान्य चर्चा उपरान्त कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही पर सहमति व्यक्त करते हुए पालन प्रतिवेदन की पुष्टि की गई।

बिन्दु कृ–3 – वार्षिक प्रतिवेदन 2011–12 का अनुमोदन :–

श्रीमती अनिता अंकुलनेरकर, संयुक्त राज्य सचिव ने अवगत कराया कि सत्र 2010–11 का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य परिषद बैठक के पूर्व तैयार होकर परिषद बैठक में वितरित होगा। पूर्व राज्य परिषद में स्वीकति अनुसार वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं ।

वार्षिक प्रतिवेदन में संस्था की प्रमुख उपलब्धियों/सम्मिलित जानकारी के बारे में संयुक्त राज्य सचिव ने अवगत कराते हुए बताया कि प्रतिवेदन में विभिन्न समितियों की जानकारी, प्रमुख उपलब्धियाँ, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, कार्यक्रम में प्रतिभागिता, गुणात्मक स्थिति, गुणात्मक स्थिति सभी विभाग की, अलंकरण सूची, वयस्क प्रशिक्षण–स्काउट प्रतिवेदन, दल पंजीयन लक्ष्य–पूर्ति विवरण, जिला संघ निर्वाचन की जानकारी वार्षिक योजना 2012–13, वार्षिक कार्यक्रम 2012–13 एवं सम्बन्धित अन्य जानकारियों का समावेश है।

संयुक्त राज्य सचिव ने संस्था की उपलब्धियों एवं राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की भी जानकारी सदस्यों को प्रदान की।

निर्णय :–संस्था की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये सदस्यों ने युवाओं के गुणात्मक स्तर, शिक्षकों के एडवांसमेंट पर विशेष ध्यान देने के सुझाव के साथ वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य परिषद में प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया ।

कार्यवाही– संयुक्त राज्य सचिव,राज्य संगठनआयुक्त (स्काउट–गाइड), राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट–गाइड)

बिन्दु क्र. 04 सत्र 2013–14 का प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम एवं वार्षिक योजना :–

श्री प्रकाश दिसोरिया, राज्य संगठन आयुक्त–स्काउट ने वार्षिक कार्यक्रम एवं योजना को प्रस्तुत करते हुए कहा कि कि संस्था द्वारा राज्य स्तर, संभागीय स्तर, जिला एवं ब्लाक स्तर पर आयोजित होने वाले वार्षिक कार्यक्रम तथा संस्था की वार्षिक योजना तैयार कर माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराई गई है ।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

इस वर्ष कुछ नये कार्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया है **वार्षिक कार्यक्रम एवं योजना में गाइडिंग के उत्थान पर भी विशेष जोर दिया गया है एवं स्काउटर–गाइडर सम्मेलन राज्य स्तर पर आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है । इसी प्रकार ट्रेकिंग/हाईकिंग का कार्यक्रम माह मई–जून के अतिरिक्त माह सितम्बर–अक्टूबर में उत्तर पूर्व क्षेत्र में अरूणाचल प्रदेश में आयोजित करने का भी प्रस्तावित है । जून 2013 में विजन–13 का कार्यक्रम प्रस्तावित है । युवा कार्यक्रम, वित्तिय प्रबंधन एवं अन्य कार्यक्रमों को सम्मिलित करते हुए 61 कार्यक्रम राज्य स्तर पर रखे गये है ऐसी ही संभाग एवं जिला स्तर पर कार्यक्रम होंगे । दलों की विजिट पर भी जोर रहेगा। अतः सदन इसका अनुमोदन प्रदान करना चाहेगा ।**

राज्य मुख्य आयुक्त ने सभी से इसके बारे में उनकी राय चाही गई जिसपर सभी सदस्यों ने वार्षिक कार्यक्रम एवं वार्षिक योजना पर अपनी सहमति प्रकट की ।

निर्णय :–कार्यक्रम पर संक्षिप्त चर्चा पश्चात् सदन द्वारा वार्षिक कार्यक्रम एवं योजना को स्वीकति प्रदान की गई ।

कार्यवाही– संयुक्त राज्य सचिव,राज्य संगठनआयुक्त (स्काउट–गाइड),
राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट–गाइड)

बिन्दु क्र.–5 – संस्था को प्राप्त साधारण/आजीवन सदस्यों की सदस्यताः –राज्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि **(अ)** श्रीमती लतागुड्डू वानखेडे, सागर का आजीवन सदस्यता का आवेदन फार्म कार्यालय में दिनांक 06.02.2010 को सम्मिलित किया था। जो भूलवश कार्यकारणी में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नही हो सका था। जो पुनः राज्य कार्यकारिणी की अनुमोदनार्थ लंबित है।

(ब) निम्न नये **02 आजीवन सदस्यता हेतु** आवेदन कार्यालय को प्राप्त हुये है :–

क्र.	आवेदन क्र.	आवेदक नाम	निवास
1.	0659	श्री वेद आशीष आर्य,	ई 8/41 भरत नगर भोपाल।
2.	0660	श्री अनिल जैन	एस–2 विजय आपर्टमेंट न्यू एम.पी. एम.एल.ए.कालोनी भोपाल।

अतः उपरोक्त अ एवं ब पर माननीय सदस्य निर्णय लेना चाहेंगे ।

उपस्थित सदस्यों ने श्रीमती लता गुड्डू वानखेड़े की एवं नवीन आजीवन सदस्यों को सूची में शामिल करने हेतु सहमति प्रदान करते हुये सदस्यों की सूची को अनुमोदित किया।

निर्णय :– आजीवन सदस्यता की अनुमति प्रदान की गई।

कार्यवाही – कार्यालय अधीक्षक

बिन्दु क्र. 6 :–सी0ए0 ऑडिट रिर्पोट पर चर्चा :–

श्री प्रदीप वैश्य राज्य कोषाध्यक्ष ने संस्था के चार्टर्ड एकाउंटेड द्वारा तैयार ऑडिट रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि रिपोर्ट समस्त सदस्यों के पास उपलब्ध है। छह वर्ष पूर्व की आडिट रिपोर्ट एवं वर्तमान आडिट रिपोर्ट की तुलना की जावे तो आप देखेंगे की अधिकतर आपत्तियों का निराकरण हो गया है । कुछ अग्रिम लेनदारी/देनदारी ही बची है । राज्य मुख्य आयुक्त के चाहने पर कोषाध्यक्ष ने अवगत कराया कि कुछ बहुत पुरानी लेनदारी/देनदारी है जिसके समायोजन हेतु श्री प्रकाश हेडाऊ, उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जो उपरोक्त के निराकरण हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।

संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों को छटवें वेतनमान प्रदान करने बाबत् चर्चा में राज्य कोषाध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में संस्था के कर्मचारियों को जो पाँचवा वेतनमान लागू है उसमें वेतन राशि लगभग छटवें वेतनमान के समकक्षता से कुछ ही कम प्रदान की जा रही है ।

राज्य कोषाध्यक्ष ने अवगत कराया कि वित्त समिति के अनुमोदन पश्चात् वर्ष 12–13 हेतु रूपये 449.65 लाख पुनरीक्षित आय एवं वर्ष 13–14 हेतु रू. 638.10 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया है । इसी प्रकार वर्ष 2012–13 हेतु रू. 487.31 लाख का पुनरीक्षित व्यय प्रावधान करते हुए वर्ष 13–14 हेतु रू. 639.92 लाख व्यय का बजट प्रस्तुत किया । उक्त बजट पर चर्चा उपरांत राज्य कार्यकारिणी द्वारा ध्वनिमत से बजट पारित किया गया ।

31 मार्च 2012 को समाप्त वित्त वर्ष से सम्बन्धित समस्त लेनदेन का राज्य मुख्यालय द्वारा निम्नवत सनदी लेखाकार कीर्ति डागा एंड कंपनी भोपाल से अंकेक्षण कराया गया । अंकेक्षण प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सदन पर चर्चा की गई ।

निर्णय :–सदन में प्रतिवेदन पर कार्यवाही पूर्ण कर लेनदारी/देनदारी के निराकरण करने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया । सी.ए. रिपोर्ट स्वीकार करते हुये अनुशंसा अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये ।

कार्यवाही – लेखाधिकारी

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

<u>बिन्दु क्र.–7 – संस्था के मानसेवी नवीन पदाधिकारियेां की नियुक्ति एवं उपसमितियों का अनुमोदन</u>–

प्रस्ताव रखते हुए राज्य सचिव ने अवगत कराया कि संस्था में निम्नलिखित कार्य आवश्यकता देखते हुऐ अधिकारियों/कर्मचारियो की नियुक्ति की जाना प्रस्तावित जिस हेतु प्रस्ताव इस प्रकार हैः– (1) .संस्था के राज्य मुख्यालय स्थित भवन, प्रशिक्षण केन्द्र तथा संभाग एवं जिलो में स्थित कार्यालयो के भवन एवं जिलो में स्थित प्रशिक्षण केन्द्रों के रख–रखाव, मरम्मत कार्य करने में तकनीकी सहयोग हेतु **<u>(1) 01 सेवा निवत्त सहा. यंत्री संविदा में रखा जाना प्रस्तावित है। (2.) संभाग एवं जिलो के कार्यालय के वित्तिय अभिलेखो का परीक्षण एवं अंकेक्षण कार्य कराये जाने तथा जिलो में स्कूल वार आडिट कराये जाने हेतु 03 आडिटर एवं 02 संविदा में लेखापाल की आवश्यकता है। (3.) राज्य मुख्यालय के पी.आर.ओ. प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण संविदा में 01 पी.आर.ओ. रखा जाना प्रस्तावित है ।</u>** (4) संस्था में वर्तमान में राज्य सचिव–1, लेखाधिकारी–1, सहायक राज्य सचिव–01, सहा.रा.संगठन आयुक्त–स्काउट 03+01, सहा.रा.संगठन आयुक्त–गाइड–2, जिला संगठक (स्काउट)–03, कार्यालय अधीक्षक–01, गणक/केशियर–01, सहा.ग्रेड 3–01, भृत्य–03 पद रिक्त है तथा उक्त रिक्त पदो मे से 05. पद सहायक राज्य संगठन आयुकत स्का/गा एवं 02 पद जिला संगठक स्का. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार न मिलने के कारण तथा शेष पदो में नियमानुसार नियुक्ति की जाना प्रस्तावित है।

डॉ रमाशंकर तिवारी ने कहा कि अनेक स्थानों पर स्कूलों में जमा पंजीयन राशि का सदुपयोग नहीं हो रहा है । इसके आडिट कार्य हेतु हमें आडिटरों एवं संविदा लेखापाल की आवश्यकता है ।

श्री डी.एस.राघव ने कहा कि पूर्व में भी 80 प्रतिशत की राशि प्राप्त कर संस्था का भवन तैयार किया गया था ।

श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला ने कहा कि म.प्र.शासन से भी इस हेतु निर्देश जारी किये गये थे उच्चस्तरीय समिति की बैठक भी दो बार हो चुकी है एवं चर्चा हो चुकी है । हमें आवश्यक कार्यवाही करना होगी ।

श्री आलोक खरे ने कहा कि आरक्षित पदों पर योग्य स्काउटिंग योग्यताधारी व्यक्ति नहीं मिलने से उक्त पद की सामान्य श्रेणी से भरपाई नहीं की जा सकती है। श्री विकास जोशी का मत था कि शासन से ही पत्र व्यवहार कर स्वीकृति प्राप्त की जाने की कार्यवाही की जावे राज्य मुख्य आयुक्त ने शासन के नियमों का अवलोकन करने का कहा ।श्री रमेश शर्मा, श्री अनिल सेठी ने आरक्षित पदों पर योग्यताधारी व्यक्ति उपलब्ध न होने के कारण अन्य पदों पर नियमानुसार नियुक्ति हेतु अपनी सहमति प्रदान की ।

राज्य सचिव ने संस्था में ए.पी.आर.ओ. के अनुसार राज्य स्तरीय योजना समिति, स्काउट उप समिति, राज्य गाइड उप समिति, वयस्क संसाधन प्रबंधन उप समिति, राज्य स्काउट बैज उप समिति, राज्य गाइड बैज उप समिति, अलंकरण उप समिति, राज्य स्तरीय जनसंपर्क समिति के गठन की जानकारी प्रस्तुत की ।

<u>निर्णय</u> :–राज्य मुख्यालय की आवश्यकता के आधार पर बिंदु क्र. 1,2,3 एवं 4 अनुसार प्रस्तावित पदों पर संविदा नियुक्ति प्रदान करने की सहमति प्रदान की गई साथ ही आरक्षित पदों पर एवं अन्य पदों पर

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

नियमानुसार कार्यवाही करते हुए नियुक्ति करने की सहमति व्यक्त की गई इस हेतु माननीय राज्य मुख्य आयुक्त को समिति गठन कर कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया।

कार्यवाही – राज्य सचिव

<u>बिन्दु क्र.–8 – कार्यालयीन प्रस्ताव</u> –

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न लिखित कार्यालयीन प्रस्ताव प्रस्ताव रखे गये –

1. <u>जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त के स्थान पर अन्य स्काउट पदाधिकारी की नियुक्ति बाबत</u>–राज्य सचिव ने कहा कि रूल्स बुक के अनुसार जिला कमिश्नर स्काउट एवं गाइड की नियुक्ति राज्य मुख्य आयुक्त के द्वारा किये जाने का प्रावधान है। लेकिन वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आ.वि. पदेन रूप से जिला कमिश्नर के पद पर नियुक्त रहते है जो उचित नही है। अतः जिला कमिश्नर के पद पर जिला शिक्षा अधिकारी/ सहायक आयुक्त आ.वि. बाध्यता नही रहना चाहिए। अतः उचित व्यक्ति को नियमो के अनुसार राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा नियुक्त किया जावे।

श्री रमेश शर्मा के अनुसार डी.ई.ओ. के आदेश पर ही जिले में कार्य हो सकता है उनका ही निर्देश मान्य होता । श्री आलोक खरे का कथन था कि जिला शिक्षा अधिकारी/सहा.आयु.आ.वि. ही नियंत्रणकर्ता अधिकारी होता है उनके अभाव में नियंत्रण नहीं रह पावेगा ।

<u>निर्णय</u> :–जिन जिलों में बहुत अधिक आवश्यकता महसूस होती है और जिन जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त–आ.वि. सहयोग नहीं करते हैं उनमें बदलाव किया जा सकता है अन्यथा यथास्थिति रखी जावे ।

कार्यवाही – राज्य सचिव

2.<u>संस्था के भवन/भूमि सम्बन्धी</u> – भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. की भूमि/भवन/प्रशिक्षण केन्द्र में से आय प्राप्त करने एवं अतिक्रमण से सुरक्षित रखने हेतु संस्था द्वारा म.प्र. शासन गृह निर्माण मण्डल या म.प्र. शासन अधोसंरचना की गाइड लाइन पर आधारित नियमो के आधार पर संस्था की भूमि पर व्यवसायिक/आवासीय निर्माण कराने एवं संस्था हेतु आय प्राप्त करने के संबंध में समिति का गठन किया जा कर कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है साथ ही किसी एक ऐसी भूमि पर जिसको संपूर्ण शासकीय अनुमति प्राप्त हो चुकी है प्रयोगात्मक परीक्षण पश्चात् नीतिगत निर्णय लिया जावे।

श्री आर एस तिवारी ने कहा कि राजस्थान में वातानुकूलित प्रशिक्षण केन्द्र है । वहाँ पर भी योजना अनुसार कार्य किया गया है । अतः शासन की गाइड लाईन अनुसार भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र. निर्माण कार्य करवाये । राज्य कोषाध्यक्ष ने कहा कि एक दो पायलेट प्रोजेक्ट प्रांरभ होना चाहिये।श्री अनिल सेठी ने कहा कि सर्वप्रथम संस्था के पास दस्तावेज पूर्ण होना चाहिये । वर्तमान में दस्तावेज कंपलीट नहीं है। मध्यप्रदेश शासन से नियमानुसार स्वीकृति के दस्तावेज हो अतः सर्वप्रथम एक वकील नियुक्त किया जाना चाहिये ।

राज्य कोषाध्यक्ष ने कहा कि जिस जिले में/स्थान पर भूमि की स्थिति पूर्णतया नियमानुसार सही हो एवं दस्तावेज उपलब्ध हो वहाँ उपरोक्तानुसार कार्य कर सकते हैं । श्री अनिल सेठी ने कहा कि यह देखा जावे कि जो भूमि है वह सिर्फ गतिविधि हेतु तो अनुमति है या मालिकाना हक है । वकील नियुक्त कर परामर्श की नितांत आवश्यकता है । साथ ही इस हेतु राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा समिति गठन करना उचित होगा।

राज्य मुख्य आयुक्त ने कहा कि जबलपुर स्थिति भूमि स्काउट क्लब के नाम पर चली गई । ग्वालियर, शिवपुरी में भी यही स्थिति है । अतः श्री सेठी जी का प्रस्ताव सहमति योग्य है । राजस्थान में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है उस बाबत् जानकारी जुटाई जावे । सिर्फ जबलपुर प्रकरण हेतु एक व्यक्ति की नियुक्ति की जावे जो परिणाममूलक कार्य करें एवं उसकी नियमित मॉनिटरिंग हो।

<u>निर्णय</u> :–सदन द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्था हेतु स्थानीय स्तर पर वकील को रखा जावे जो विधिक सलाहकार के रूप में कार्य करते हुए संस्था के हित में सभी कार्य नियमानुसार संपादित कराये । भारत स्काउट एवं गाइड के आय के स्त्रोतों को बढ़ाने हेतु सदन यह निर्णय ले रहा है, संस्था अपनी किसी भी भूमि पर, शासन के नियमानुसार म.प्र. अधोसंरचना एवं गृह निर्माण मंडल की गाइड लाईन के अनुसार कार्य करें । कार्य संपादन हेतु समिति इस प्रकार होगी –(1) श्री के.पी. सिंह, रा.आयुक्त–स्काउट (2) श्री प्रदीप वैश्य, राज्य कोषाध्यक्ष (3) श्री अनिल सेठी, सहा.रा.आयुक्त–स्काउट, (4) नियुक्त वकील (5)सिविल इंजीनियर/आर्किटेक्ट, राज्य सचिव ।

कार्यवाही – राज्य सचिव

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

3.आजीवन सदस्य सम्बन्धी – आजीवन सदस्यो की सूची में जो नाम शामिल है जो कि विगत कई वर्षो से न तो सक्रिय है और न ही पत्राचार का उत्तर प्राप्त होता है अतः ऐसी स्थिति में आजीवन सदस्यता सूची का पुनः नवीनीकरण किया जाना प्रस्तावित हैं ।

राज्य कोषाध्यक्ष ने कहा कि उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार सुझाव है कि पुर्नसदस्यता शुल्क निर्धारण कर, जिन सदस्यों की आजीवन सदस्यता 10 वर्ष या अधिक हो गई है उनको पत्र भेजकर सदस्यता नवीनीकरण की स्वीकृति प्राप्त की जावे यदि वे सदस्यता हेतु सहमत हो तो शुल्क प्राप्त कर उनकी सदस्यता का नवीनीकरण किया जावे एवं सदस्यता वृद्वि तथा पत्र व्यवहार हेतु एक माह का समय दिया जावे । उपरोक्त कार्य एक समिति बनाकर भी किया जाना उचित होगा। श्री डी.एस.राघव एवं भंवर शर्मा ने भी उपरोक्त से सहमति व्यक्त की । सदस्यों का यह भी सुझाव था कि पत्रिका बालचर रवि की आजीवन सदस्यता हेतु भी उपरोक्तानुसार कार्य किया जावे।

निर्णय :–उक्त कार्य हेतु एक समिति बनाकर आजीवन सदस्यता सम्बन्धी कार्य किया जावे एवं सभी सम्बन्धित आजीवन सदस्यों को सूचित किया जावे। इस हेतु श्री प्रदीप वैश्य, राज्यकोषाध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति गठित की जाती है जिसके सदस्य (1)श्रीमती चंद्रकांता उपाध्याय, एस.ओ.सी. (जी) (2) श्रीमती ज्योति खानझोडे, कार्यालय अधीक्षक (3) श्रीमती कविता वर्मा, संविदा कम्प्यूटर आपरेटर पत्रिका कक्ष होंगे। उक्त कार्यवाही की समय सीमा 06 माह रहेगी ।
कार्यवाही – राज्य सचिव

4.उपनियम – संस्था के भर्ती पदोन्नति नियमों में संशोधन पूर्व बैठक में भी स्वीकृत किया जा चुका है साथ ही संस्था के उपनियम (बायलॉज) में पूर्व में गठित समिति द्वारा किये गये संशोधनों के साथ अन्य संशोधित संशोधनों को मान्य करते हुए राष्ट्रीय मुख्यालय के द्वारा किये गये संशोधन को मान्य करते हुए राष्ट्रीय मुख्यालय से पुनः अनुमोदन कराये जाने का प्रस्ताव पारित करना अपेक्षित है।

निर्णय :–भारत स्काउट एंव गाइड के उपनियमों में राष्ट्रीय मुख्यालय सहित अन्य समिति द्वारा प्रस्तावित किये गये संशोधनों को स्वीकृति प्रदान करते हुए राष्ट्रीय मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने पर सहमति व्यक्त की गई ।

कार्यवाही – संयुक्त राज्य सचिव

5– स्टेट एडवेंचर सेंटर–भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. द्वारा युवाओं को अधिकाधिक प्रतिभागिता एवं राज्य की वार्षिक कार्य योजना के अनुसार **'' स्टेट एडवेंचर सेन्टर''** की स्थापना की जाने हेतु प्रस्ताव हैः– स्टेट एडवेंचर सेन्टर की गतिविधियों में स्काउट एवं गाइड, रोवर/रेंजर वेंचर क्लब के सदस्य एवं विद्यालयों के विद्यार्थी जिनकी आयु 14 वर्ष से अधिक होगी भाग ले सकेगें। श्री प्रकाश दिसोरिया, एस.ओ.सी.–स्काउट ने अवगत कराया कि **''स्टेट एडवेंचर सेन्टर''** राज्य मुख्यालय के अंतर्गत एक अनुषंगी संस्थान होगा । जो गतिविधि विभाग के राज्य संगठनायुक्त–स्काउट के प्रति उत्तरदायी होगा एवं युवा कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों का संचालन करेगा । इसके अंतर्गत वित्तिय समिति के अध्यक्ष लेखाधिकारी होंगे व सदस्य वरिष्ठ लेखा परीक्षक, प्रोग्राम आफिसर, स्थानीय स्काउटर/गाइडर/प्रोफेशनल होंगे । इसके अंतर्गत कैंपिंग, ट्रेकिंग, हाईकिंग, वॉटर एक्टिविटी, स्वीमिंग एवं अन्य गतिविधियाँ संचालित होंगी । विस्तृत विवरण सभी सदस्यों को समक्ष में फोल्डर में रख कर प्रस्तुत किया गया है ।

राज्य कोषाध्यक्ष ने कहा कि वित्तिय समिति के अध्यक्ष राज्य कोषाध्यक्ष रहेंगे । राज्य मुख्य आयुक्त एंव समस्त सदस्यों ने प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की ।

निर्णयः–सदन ने मध्यप्रदेश स्काउट एंव गाइड '' स्टेट एडवेंचर सेन्टर'' हेतु सहमति प्रदान करते हुये राज्य परिषद हेतु अनुमोदन प्रदान किया ।

कार्यवाही – राज्य संगठन आयुक्त–स्काउट

6.म.प्र. स्काउट एवं गाइड फाउन्डेशन–भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. द्वारा राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली के अनुक्रम में भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. की स्वायत्ता एवं गतिविधियों हेतु एक समग्र कोष की स्थापना करने के उद्देश्य से म.प्र. स्काउट एवं गाइड फाउन्डेशन का प्रारूप तैयार किया है। जिसमें सदस्यता एवं नियम व शर्ते मुख्यतः राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के अनुसार होगी।

श्री प्रकाश दिसोरिया, एस.ओ.सी.–स्काउट ने अवगत कराया कि **मध्यप्रदेश स्काउट–गाइड फाउन्डेशन का उद्देश्य** भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश स्वायत्ता एवं गतिविधियों हेतु एक समग्र कोष की स्थापना करना है, जिसका उपयोग फाउंडेशन का नीति के अनुसार राज्य कार्यकारणी की सहमति से होगा । इस हेतु समाजसेवी,उद्योगपति शुभचिंतक जो संस्था को आर्थिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं उन्हें मान्यता

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

देना है ।मूल निवेश राशि एफ.डी. के रूप में संग्रहित होगी व ब्याज राशि जिसे राज्य/संभाग/जिला प्रशिक्षण केन्द्रों का विकास करना है । इस हेतु आवेदक सदस्यता हेतु संस्था के मूल सिद्धांतों को मानने हेतु बाध्य होगा, जो संस्था/व्यक्ति 11000/– रूपये देने को तैयार होगा। वह **"संस्थागत सदस्य"** होगा। राशि का भुगतान एकमुश्त करना अनिवार्य है। जो संस्था/व्यक्ति 25000/– रूपये देने को तैयार होगा। वह **" मध्यप्रदेश स्काउट–गाइड फैलोशिप सदस्य"** होगा। राशि का भुगतान दो बराबर भागों में करना अनिवार्य होगा। ऐसोसिएट मेंबरशिप सदस्यो के लिए मध्यप्रदेश स्काउट–गाइड फैलोशिप सदस्यता खुली होगी जब तक कि वे शेष राशि रू.14000/– का भुगतान न कर दें।**ये संस्था/व्यक्ति ऐसोसिएशन सदस्य एवं फैलोशिप सदस्य होने के नाते** मध्यप्रदेश स्काउट गाइड फैलोशिप की सदस्यता लेने संस्था की मासिक पत्रिका '' बालचर रवि'' के आजीवन सदस्या का लाभ प्राप्त कर सकेंगे ,राज्य मुख्यालय में पटल पर उनके नाम अंकित किये जाकर उचित स्थान पर प्रर्दशित किये जावेंगे व व्यक्ति/संस्था का बायो–डाटा का प्रकाशन मासिक पत्रिका '' बालचर रवि'' में किया जावेगा। । संस्थागत सदस्यों उनकी सेवाओं एवं योगदान के लिए सिल्वर मेडल एवं प्रमाण–पत्र प्रदान किया जावेगा। जो संस्था के सरंक्षक महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदान किया जावेगा। फैलोशिप सदस्यों को उनकी सेवाओं एवं योगदान के लिए गोल्ड मेडल एवं प्रमाण–पत्र प्रदान किया जावेगा। जो संस्था के संरक्षक द्वारा राज्य पुरस्कार रैली के दौरान प्रदान किया जावेगा। **ऐसोसिएशन एवं फैलोशिप सदस्यों को राज्य स्तर के आयोजनो में स्थाई आमंत्रितों की सूची में सूचीबद्ध किया जावेगा। ऐसी परिस्थति में जब सदस्य ने पूर्ण किश्त जमा न की होतो उनके उत्तराधिकारी द्वारा पूर्ण किश्त जमा करने पर सदस्यता मान्य की जावेगी। फैलोशिप अवार्ड हेतु संस्था/व्यक्ति द्वारा अपने द्वारा घोषित व्यक्ति को चुना जा सकेगा। किन्तु सदस्यता स्थायी एवं अहस्तांतरणीय होगी। भारत स्काउट एवं गाइड को दिया गया दान,सदस्यता राशि आयकर नियम के भाग–80 जी के तहत छूट प्राप्त होगा। एकत्रित फंड संचित निधि के रूप में रखा जावेगा। राज्य कार्यकारणी फंड से प्राप्त ब्याज के उपयोग के संबध में अंतिम निर्णय निम्न बिन्दुओं के आधार पर लेगी। स्काउट गाइड फैलोशिप निधि का उपयोग** भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश की गतिविधियों एवं स्वयत्तता हेतु किया गया है। मूल निवेश राशि एफडी के रूप में संग्रहित होगी। ब्याज से प्राप्त राशि का उपयोग मध्यप्रदेश भारत स्काउट एवं गाइड द्वारा राज्य/संभाग/जिला प्रशिक्षण केन्द्रों के विकास हेतु ,स्वतंत्र दलों के गठन में योगदान हेतु, स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर का अंर्तराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने पर सहयोग देने हेतु किया जावेगा ।

निर्णयः–सदन ने मध्यप्रदेश स्काउट एंव गाइड फाउंडेशन हेतु सहमति प्रदान करते हुये राज्य परिषद हेतु अनुमोदन प्रदान किया ।

कार्यवाही – राज्य संगठन आयुक्त–स्काउट/गाइड

7. प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में स्काउट निधि की शेष राशि राज्य मुख्यालय मे बुलाये जाने विषयक :– प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शेष स्काउट निधि की राशि जो राज्य मुख्यालय में मंगाये जाने के संबंध में शासन स्तर से निर्देश जारी कराये जावे प्राप्त राशि का उपयोग कब/बुलबुल गतिविधि एवं प्रशिक्षण केन्द्रो के विकास में लिया जावे।

डॉ रमाशंकर तिवारी ने कहा कि जिलों में स्कूलों में जमा राशि का पूर्णतः सदुपयोग नहीं हो पाता है । अतः राज्य मुख्यालय ने ऑडिट दल बनवाकर अंकेक्षण का निर्णय लिया है इस हेतु पूर्व में भी शासन से आदेश जारी हुआ है परन्तु उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ है । अतः पुनः शासन स्तर से निर्देश भी जारी करवाने की कार्यवाही की प्रस्तावित है ।

निर्णयः–सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई कि तत्काल स्काउट निधि को राज्य मुख्यालय बुलाये जाने की कार्यवाही की जावे ।

कार्यवाही – लेखाधिकारी/सहायक राज्य संगठन आयुक्त(स्काउट)

8. अपीलीय समिति का अनुमोदन –:– भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. के कर्मचारियों/अधिकारियों की अपील सुनने हेतु निम्नानुसार प्रस्तावित है ।

अ– राज्य सचिव के आदेश के विरूद्ध

अपीलीय अधिकारी राज्य मुख्य आयुक्त

ब– राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा पारित/अनुमोदित आदेश के विरूद्ध अपीलीय/सुनने हेतु निम्नानुसार अपीलीय समिति प्रस्तावित है ।

1. श्री प्रकाश हेड़ाऊ उपाध्यक्ष, भारत स्काउट एवं गाइड भोपाल।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

2. श्री राजेन्द्र प्रसाद संचालक, राज्य ओपन स्कूल म.प्र. भोपाल।

3. श्री पी.एल.अहिरवार सलाहकार राज्य मुख्यालय भोपाल।

निर्णयः–सदन द्वारा प्रस्तावित अपीलीय समिति का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही – राज्य सचिव

9.लंबित अग्रिम राशि के समायोजन हेतु समितिः– भारत स्काउट एवं गाइड के अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध काफी समय से अग्रिम राशि मूल लेखा अभिलेख के अभाव में लंबित है। ऐसे लंबित प्रकरणों के निराकरण उच्च स्तरीय समिति का गठन कर निर्णय कराया जाना उचित होगा। प्रस्तावित समिति निम्नानुसार होगीः–

1– श्री प्रकाश हेड़ाउ अध्यक्ष
2–श्री प्रदीप वैश्य सदस्य
3–श्री पी.एल.अहिरवार सदस्य
4–श्री जी.डी.ताम्रकार सदस्य

निर्णयः–सदन द्वारा उक्त प्रस्तावित का अनुमोदन किया गया ।

कार्यवाही –लेखाधिकारी

10– भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.के समस्त कर्मचारियों को तीन वर्ष में एक बार निःशुल्क यूनीफार्म प्रदान करनाः–

(अ) भारत स्काउट एवं गाइड के स्थाई एवं संविदा पर कार्यरत कुल 130 अधिकारी/कर्मचारी है और यह प्रति सोमवार नियमित रूप से यूनीफार्म में आते है। यदि सभी को तीन वर्ष में एक बार सभी को यूनीफार्म दिया जाता है तो संस्था पर लगभग 60,000.00 (साठ हजार मात्र) व्यय संभावित है।

राज्य मुख्य आयुक्त ने अच्छा प्रस्ताव बताते हुए प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की ।

श्रीमती लतागुड्डू वानखेड़े ने कहा कि सरकारी स्कूल के गरीबी रेखा के नीचे के बच्चों को भी स्काउट यूनिफार्म के बारे में कार्यवाही होना चाहिये ।

(ब) राज्य मुख्य आयुक्त ने कहा कि शासन द्वारा स्कूलों में प्रति बच्चे दो जोड़ी यूनिफार्म दी जाती है इस दो जोड़ी में से एक जोड़ी स्काउट ड्रेस की हो इस सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को भेजा जावे तदानुसार कार्यवाही की जावे ।

निर्णयः–सदन द्वारा कर्मचारियों हेतु यूनिफार्म निःशुल्क प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की एवं शासन को प्रस्ताव भेजने हेतु भी सहमति प्रदान की गई ।

कार्यवाही – प्रबंधक (साज सज्जा कक्ष)

11– राज्य मुख्यालय के कर्मचारियो को निःशुल्क चाय उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावः– राज्य मुख्यालय के कर्मचारियों द्वारा स्वयं की राशि से कैन्टीन संचालित कर दो बार चाय पी जाती है जिसमे वर्ष में लगभग 60,000.00 (साठ हजार मात्र) व्यय आता है। अतः उचित होगा कि दिन में प्रति कर्मचारी को दो चाय की सुविधा निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित हैं।

राज्य कोषाध्यक्ष ने कहा कर्मचारी कार्यालय में निरंतर सांयकाल तक एवं आवश्यकता पड़ने पर देर रात तक कार्य करते हैं संस्था अपने दायित्व को महसूस करते हुये यह व्यवस्था करती है तो यह कर्मचारियों के लिये अच्छा रहेगा ।

निर्णयः–सदन द्वारा कर्मचारियों के हित हेतु प्रबंधन द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई

कार्यवाही – लेखाधिकारी/कार्यालय अधीक्षक

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

12— <u>कार्यालय मे सी.सी.टी.वी.लगाये जाने की अनुमति का प्रस्तावः—</u>कार्यालय सुरक्षा की दृष्टि से सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाना उचित होगा इसमें 2 लाख का व्यय आना संभावित है।

चर्चा करते हुये श्री भंवर शर्मा, श्री रमेश शर्मा ने कहा कि प्रस्ताव अच्छा है उपरोक्त कार्य पहले से होना चाहिये था।

<u>निर्णयः—सदन द्वारा कार्यालय में सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सी.सी.टी.वी. लगवाने पर सहमति व्यक्त की गई ।</u>

कार्यवाही —संयुक्त राज्य सचिव/स्टेशनरी कक्ष प्रभारी।

13— <u>कार्यालय के नीचे के 05 आवासो में विश्राम गृह संचालित कराने विषयकः—</u> कार्यालय के नीचे 05 कक्ष है। जिसमें स्थाई रूप से विश्राम गृह के रूप में तैयार कराकर संचालित कराया जाना प्रस्तावित है। इसमें प्रारंभिक रूप से सुधार एवं सामग्री में 6 लाख का व्यय प्रस्तावित है। इसमें खाना बनाने हेतु 02 कुक एवं 02 भृत्य व्यवस्था हेतु पृथक से रखना होगा स्काउट/गाइड के व्यक्ति से 100/— एवं अन्य से 200/— प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त किया जायेगा एवं 50 रूपये में खाने हेतु केन्टीन प्रारंभ की जावेगी ताकि सभी को सुविधाएं प्राप्त हो सके।

सदन में चर्चा होने पर सभी सदस्य आने वाली अवांछित परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए सहमत नहीं हो पा रहे थे ।

राज्य मुख्य आयुक्त ने कहा कि गेस्ट हाऊस प्रांरभ होने पर कोई अवांछित गतिविधि या मिस यूज का विशेष ध्यान रखना होगा एवं एक केयर टेकर रखना होगा।

श्री भंवर शर्मा ने आने वाले व्यक्ति हेतु आईकार्ड/पहचान पत्र की आवश्यकता का सुझाव दिया।

<u>निर्णयः—सदन द्वारा राज्य मुख्य आयुक्त की सहमति से निर्णय लिया कि विश्रामगृह में सभी से ठहरने का किराया लिया जावे, कोई अवांछित गतिविधि न हो, सिर्फ भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. कार्यकारिणी, राज्य परिषद एवं भारत के किसी भी राज्य के स्काउट कार्यालय से पधारे पदाधिकारी हेतु, राज्य सचिव की स्वीकृति पश्चात पहचान पत्र की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश के साथ विश्रामगृह संचालित करने एवं कक्षों के तैयार करने पर आने वाले व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई।</u>

कार्यवाही —राज्य सचिव

14— भारत स्काउट एवं गाइड के प्रशिक्षण केन्द्रो को संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित हेतु प्रस्ताव <u>:—</u>भारत स्काउट एवं गाइड के प्रशिक्षण केन्द्रो को विकसित करने हेतु उक्त केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले जिलो से प्रति जिला 1—1 लाख की राशि प्राप्त कर प्रशिक्षण केन्द्रो में मूल भूत आवश्यकताओं की पूर्ति कराया जाना प्रस्तावित है, साथ ही समस्त प्रशिक्षण केन्द्र संभाग स्तर के प्रशिक्षण केन्द्रो होगें ।

श्री प्रकाश दिसोरिया, राज्य संगठन आयुक्त—स्काउट नें कहा कि इस वर्ष स्तरीय स्काउटिंग पर विशेष ध्यान देना है अतः प्रशिक्षण केन्द्र हेतु उक्त प्रस्ताव है ।

श्री भंवर शर्मा ने कहा कि कालाकुंड प्रशिक्षण केन्द्र पर केंप लगने से आय होती है एवं उसका विकास होता है । अन्य स्कूलों में कैंप होने से उसका संस्था को /जिला संघ/प्रशिक्षण केन्द्र को लाभ नहीं मिल पाता है ।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा ने कहा कि उज्जैन संभाग में प्रशिक्षण केन्द्र भूमि हेतु आपकी आवश्यकता होगी। राज्य मुख्य आयुक्त ने कहा कि मेरी जब जरूरत होगी मैं संस्था कार्य हेतु आपको सहयोग हेतु उपलब्ध रहूँगा।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

राज्य मुख्य आयुक्त ने कहा कि संस्था की जमीन पर बी.ओ.टी के अन्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में चर्चा हुई थी । इस हेतु आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही हो । इस हेतु एक समिति बनाई जावे। संस्था की जमीन कम होती जा रही है ।डॉ आर एस तिवारी ने सुझाव दिया कि समिति में उस जिले/संभाग के एक–दो पदाधिकारियों को भी सम्मिलित किया जावे ।

निर्णयः–सदन द्वारा राज्य मुख्य आयुक्त के सुझावों पर सहमति व्यक्त करते हुए समस्त प्रशिक्षण केन्द्रों को संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र घोषित किया गया एवं भूमि नांमातरण भी संभागीय प्रशिक्षण के नाम पर करने की स्वीकृति के साथ सभी जिला एवं संभाग के शिविर प्रशिक्षण केन्द्रों पर ही करने के निर्देश के दिये गये । यह भी निर्णय लिया गया कि प्रशिक्षण केंद्रों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तत्काल की जावे । प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की जाती है ।

कार्यवाही –राज्य प्र.आयु. (स्का./गा.)

15– भारत स्काउट एवं गाइड की पंजीयन राशि जमा न करने वाले जिला संघो पर कार्यवाही का प्रस्ताव :–राष्ट्रीय मुख्यालय भारत स्काउट एवं गाइड नई दिल्ली के निर्णय के आधार पर एवं राज्य मुख्यालय भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. द्वारा भी जिला संघो के पंजीयन की राशि प्राप्त करने हेतु निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है जिला संघो के पंजीयन की राशि प्राप्त नही हो रही है। परिणामस्वरूप लगभग 5 करोड़ से अधिक की राशि लंबित है। अतः 6 वर्षो की लंबित राशि का हिसाब कर लंबित राशि जिला संघो से जमा कराने हेतु 1 वर्ष का समय दिया जावे अन्यथा जिला संघो की मान्यता समाप्त कर उन्हे गतिविधियों में भाग लेने से वंचित किया जावे।

डॉ आर एस तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली को प्रतिवर्ष मुख्यालय से एफीलेशन एवं सेंसश राशि भेजी जाती है परन्तु जिलों से पर्याप्त राशि से कम एवं औसत से कम राशि प्राप्त होती है । इससे वित्तीय परेशानी आती है ।राज्य कोषाध्यक्ष ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी से उनकी व्यस्तता के कारण पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाता है । राज्य मुख्य आयुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी से जिला कमिश्नर स्काउट पर पदेन करने की जानकारी चाहने पर श्री डी.एस.राघव ने अवगत कराया कि उक्त व्यवस्था राज्य मुख्यालय द्वारा की गई है।

श्री एन डी वैष्णव ने कहा कि राज्य मुख्यालय से चार्टर/वारंट अप्राप्त है एवं पुराने भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं ।

राज्य मुख्य आयुक्त ने कहा कि एक सप्ताह में पूर्ण जानकारी से श्री वैष्णव को अवगत कराया जावे ।

राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा जानकारी चाहने पर श्री काजी एच सिद्धिकी ने कहा कि वारंट राज्य मुख्यालय से एंव चार्टर संभाग से जारी होता है ।

डॉ रमाशंकर तिवारी ने कहा कि मुख्य समस्या यह उभरकर आई है कि स्कूल से जो पंजीयन राशि भेजी जाती है उसके साथ पूर्ण विवरण एवं दलों की सूची प्राप्त नहीं होती हैं इस हेतु अनेक निर्देश जारी हो चुके है ।

निर्णयः–पंजीयन राशि दलों के नाम की सूची सहित प्राप्त की जावे तथा वांरट एवं चार्टर भी समय से जारी हो । इसलिये पंजीयन राशि प्राप्त करने का प्रोफार्मा पुनः भेजा जावे एवं साप्ताहिक मॉनिटरिंग कराने के साथ ही पंजीयन राशि जमा न करने वाले जिला संघों को भंगकर दिया जावे एंव उक्त जिलों के बच्चों को स्काउट गतिविधियों से वंचित कर दिया जावे । जिलो का ऑडिट कराकर राशि प्राप्त की जावे ।

कार्यवाही –ए.एस.ओ.सी.(स्काउट)

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

16— भारत स्काउट एवं गाइड के आजीवन सदस्यों को बालचर रवि पत्रिका की आजीवन सदस्यता लेना अनिवार्य किया जायेः— भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. के आजीवन सदस्यों से 1500.00 रूपये की राशि आजीवन सदस्यता हेतु जमा कराये जाने का पत्र लिखा जावे एवं राशि जमा करा कर नियमित पत्रिका भेजी जाये।

श्री रमेश शर्मा का सुझाव था कि सदस्यता हेतु फार्म भेजा जावे/उपलब्ध कराया जावे । श्री एन डी वैष्णव ने कहा कि स्कूलों में पत्रिका नहीं पहूँच रही है ।हमारे विकासखंड की पत्रिका पूरी हमें भेज दी जावे उसके पहूँचाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी ।

निर्णयः—श्री वैष्णव जी के प्रस्ताव पर उनकी जिम्मेदारी पर पत्रिका भेजने हेतु सहमति प्रदान करते हुए पत्रिका आजीवन सदस्यता हेतु 10 वर्ष का समय निर्धारित किया जाता है। 10 वर्ष से अधिक समय के आजीवन सदस्यों को पुनः नवीनीकरण हेतु पत्र भेजा जावे ।

कार्यवाही —जनसंपर्क कक्ष प्रभारी

17— जिलो के रिक्त जिला संगठक के पदो पर नियुक्ति हेतु प्रस्तावः—भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. के लगभग 30 जिले ऐसे है जहां भारत स्काउट एवं गाइड का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी नही है। अतः सभी जिले में संविदा के आधार पर जिला संगठक की नियुक्ति की जाना प्रस्तावित है।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा ने आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सहमति प्रदान की ।

श्री डी. एस. राघव ने पूर्व अनुभव को ध्यान रखते हुए मानदंड तय करने हेतु कहा ।

डॉ रमाशंकर तिवारी ने कहा कि पूर्व के अनुभव अनुसार कुछ डी.ओ.सी. ठीक कार्य कर रहे हैं कुछ ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं सदस्यों का कथन था कि जो ठीक से कार्य कर रहे हैं **उन्हें 06 माह बाद नवीन नियुक्ति दी जावे एंव जो कार्य नहीं करते हैं उनकी सेवा समाप्त कर दी जावे ।**

राज्य कोषाध्यक्ष ने सुझाया कि योग्य प्रशिक्षित डी.ओ.सी नहीं मिलते हैं अतः स्नातक या स्नातकोत्तर आवेदक की नियुक्ति कर छह माह का प्रशिक्षण हेतु समय दिया जावे ।

श्री प्रकाश हेडाऊ, श्री डी.एस.राघव व अन्य सदस्यों का मत था कि यह व्यवहारिक नहीं है । जिससे सभी ने सहमति प्रकट की ।

निर्णयः—सदन द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रशिक्षित योग्यताधारी डी.ओ.सी. की संविदा नियुक्ति नियमानुसार करने की सहमति प्रदान की गई साथ ही यह नियुक्ति 06 माह के लिये की जावे यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो तत्काल संविदा नियुक्ति समाप्त की जावे । यह निर्णय संविदा पर कार्य करने वाले समस्त स्टाफ पर लागू होगा ।

कार्यवाही — स्थापना कक्ष प्रभारी

18— संविदा अवधि में वृद्धि के सम्बन्ध में —राज्य मुख्यालय से जिलो में संविदा पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों की संविदा अवधि में वृद्धि उनके द्वारा किये गये गये कार्य एंव लक्ष्य की पूर्ति के आधार पर की जावेगी । **साथ ही जिन्हांने लक्ष्य की पूर्ति की है तो अतिरिक्त विशेष वेतन वृद्धि 100 रू. की दी जावेगी । जिन्होंने लक्ष्य की पूर्ति नहीं की उनकी संविदा अवधि में वृद्धि नहीं किया जाना प्रस्तावित है । अतः संविदा वृद्धि करने के पूर्व उनके कार्यो की लक्ष्य पूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जावे ।**

निर्णयः—सदन द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई ।

कार्यवाही — स्थापना कक्ष प्रभारी

19— जिले में कार्यकारिणी एंव परिषद् की बैठक में विशेष आंमत्रित किये जाने विषयक् —संयुक्त संचालक शिक्षा एवं उप—आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को जिले में आयोजित जिला कार्यकारिणी एवं परिषद की

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

बैठक में विशेष सदस्यों के रूप में आंमत्रित किया जाना प्रस्तावित है। राज्य कोषाध्यक्ष का सुझाव था कि उस जिले में निवासरत राज्य कार्यकारिणी/राज्य परिषद के पदाधिकारी को भी आंमत्रित किया जावे । श्री विनोद मालवीय ने जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त–आदिवासी विकास भी आंमत्रित करने हेतु सुझाव दिया ।

निर्णयः–सदन द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई ।

कार्यवाही –संयुक्त राज्य सचिव

20– जिला संघों से लिपिकीय स्टाफ अन्यत्र पदस्थ करने विषयक् :–भारत स्काउट एंव गाइड मध्यप्रदेश के किसी भी सहायक ग्रेड–3 को जिला संघ में पदस्थ न करके राज्य मुख्यालय एवं संभागीय मुख्यालय में पदस्थ किया जावे ।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा ने सुझाव दिया कि उज्जैन संभाग में आगामी वर्षो में सिंहस्थ आयोजित होने वाला है अतः उज्जैन जिले को इस प्रस्ताव से मुक्त रखा जावे ।

निर्णयः–प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किसी भी सहायक ग्रेड–3 (लिपिक) को जिला संघ में पदस्थ नहीं किया जावेगा । जो पदस्थ है उन्हें तत्काल राज्य मुख्यालय अथवा संभागीय मुख्यालय में पदस्थ किया जावे।

कार्यवाही – स्थापना कक्ष प्रभारी

21– नये जिलों एंव संभागों के लिए नवीन पद स्वीकृत करने हेतु –प्रदेश में निर्मित नये जिलों एवं संभागों के लिये निम्नवत नवीन पद स्वीकृत करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाना प्रस्तावित है जो इस प्रकार है

अ– (1). सहायक राज्य संगठन आयुक्त स्काउट/गाइड – 03 पद (2) जिला राज्य संगठन आयुक्त स्काउट/गाइड – 12 पद

ब – राज्य स्तर पर (1). राज्य प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट – 01 पद (2) राज्य प्रशिक्षण आयुक्त गाइड – 01 पद (3) डाटा एंट्री आपरेटर 05 पद

स – संभाग स्तर पर (1). डाटा एंट्री आपरेटर 10 पद

निर्णयः–सदन द्वारा उक्त प्रस्ताव शासन को भेजकर स्वीकृत कराने हेतु सहमति व्यक्त की गई ।

कार्यवाही–राज्य सचिव

संभाग एवं जिलों की ग्रेडिंग –कार्यालयीन प्रस्ताव के अंतर्गत अध्यक्ष महोदय की अनुमति से संभाग एंव जिलों की ग्रेडिंग पावरपांईट प्रजेंटेशन के माध्यम से कार्यकारिणी सदस्यों को अवलोकन कराया गया ।

डॉ रमाशंकर तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कार्य अनुसार मध्यप्रदेश की छवि ठीक नहीं है । राज्य कोषाध्यक्ष ने कहा कि जो अधिकारी अनेक निर्देश के बावजूद ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं उनकी सेवायें 20 वर्ष सेवा या 50 वर्ष की आयु के आधार पर समाप्त करने की कार्यवाही होना चाहिये।

श्री भंवर शर्मा ने कहा कि उक्त स्थिति अधिकारियां/कर्मचारियों की लापरवाही से होती है श्री डी.एस.राघव के कार्यकाल में भी कार्यक्षमता के आधार पर अधिकारियों / कर्मचारियों को हटाया गया था ।

श्री एन डी वैष्णव ने कहा कि मंदसौर, नीमच में संस्था का कोई कर्मचारी नहीं है । सभी उज्जैन में पदस्थ है । श्री रमेश चन्द्र शर्मा ने कहा कि संभागीय कार्यालय में कार्य ठीक नहीं है इस पर विशेष ध्यान दिया जावे ।

श्रीमती लतागुड्डू वानखेड़े ने सागर संभाग की ग्रेडिंग देखकर चिंता व्यक्त की।

डॉ रमाशंकर तिवारी ने कहा कि कार्यकारिणी के अधिकारी के साथ संभागीय एवं जिला अधिकारी भी क्षेत्र का दौरा करें ।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

राज्य कोषाध्यक्ष ने कहा कि कार्यकारिणी के पदाधिकारी जिस जिले में हो उस जिले के कार्यक्रम की उन्हें सूचना देते हुए आंमत्रित किया जावे ।

राज्य मुख्य आयुक्त ने कहा कि राज्य कोषाध्यक्ष एवं श्री भंवर शर्मा द्वारा उठाये गये मुद्दे पर विचार कर नियमानुसार निर्णय होगा । यह एक पॉलिसी मैटर है । श्री डी.एस.राघव ने कहा कि शासन के नियमों का परीक्षण पश्चात् ही कार्यवाही हो । राज्य कोषाध्यक्ष ने कहा कि इसमें श्री आलोक खरे, श्री विकास जोशी भी समिति सदस्य रहेंगे ।

निर्णयः–सदन द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो अधिकारी/कर्मचारी दिये गये लक्ष्यों को पूर्ण नहीं करते हैं और उनकी गोपनीय चरित्रावली खराब है तथा जिनकी 20 वर्ष की सेवा या 50 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है तथा शासन के नियमों के परिपेक्ष्य में सेवानिवृत्त किया जावे । इस हेतु राज्य मुख्य आयुक्त को छानबीन समिति बनाने हेतु अधिकृत किया गया।

कार्यवाही – राज्य सचिव

बिन्दु क्र..–9 – अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्तावों पर चर्चा –

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्यों द्वारा अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जो इस प्रकार थे –

1. श्री भंवर शर्मा ने **प्रथम प्रस्ताव** में कहा कि सदन के समक्ष स्काउट–गाइड कार्यक्रमों की ग्रेडिंग देखकर यह स्पष्ट है कि संगठन की गतिविधियों में लगातार गिरावट आ रही है संस्था के अधिकांश अधिकारी/कर्मचारी या तो कार्य के प्रति उदासीन है या शारीरिक रूप से अस्वस्थ्य है। अतः जिन्होंने 20 वर्ष की सेवा या 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो उनके पाँच वर्ष की गोपनीय चरित्रावली का अवलोकर एवं कार्य का रिकार्ड छानबीन समिति की अनुशंसा के आधार पर सेवानिवृत्त किया जये। जिससे भारत स्काउट एंव गाइड संस्था में नवीन एवं ऊर्जा वाले व्यक्तियों को अवसर प्राप्त होगा ।

निर्णयः–सदन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि म.प्र.शासन के नियमों को दृष्टिगत रखते हुए समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रदर्शन विवरण (परफार्मेशन रिपोर्ट) के आधार पर परीक्षण करा लिया जावे एवं म.प्र.शासन के अधिनियम 20–50 के अंतर्गत अनिवार्य सेवा निवृत्त देने हेतु राज्य मुख्य आयुक्त को समिति गठित कर कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया ।

कार्यवाही –राज्य सचिव

श्री भंवर शर्मा ने **द्वितीय प्रस्ताव** रखते हुए कहा कि म.प्र.भारत स्काउट एंव गाइड में 10 संभागीय कार्यालय संचालित है जिसमें 01 ए.एस.ओ.सी., 01 कम्प्यूटर आपरेटर, 01 लिपिक, 01 भृत्य कार्यरत है ।साथ ही भवन किराया, विद्युत, पानी देयक सहित कम से कम 01 संभाग में वेतन एवं समस्त खर्चो सहित रू. 07–08 लाख वार्षिक व्यय संभावित है तथा बड़े संभाग में 10–12 लाख रू. । इस प्रकार सभी 10 संभागों में लगभग 01 करोड़ वार्षिक व्यय आता है जबकि उक्त संभागों में डी.ओ.सी. भी कार्यरत है। शेष 30 जिलों में डी.ओ.सी. के पद रिक्त है उचित होगा कि संभागीय कार्यालयों को जिला कार्यालय में परिवर्तित करते हुए अतिशेष अमले को राज्य मुख्यालय में रखा जावे एवं राष्ट्रीय मुख्यालय के आर.ओ.सी. की भाँति जो एक–एक झोन के प्रभारी होते हैं उसी तरह से कार्य किया जावे जिससे संस्था में सुधार होते हुए राशि की बचत होगी।

निर्णयः–उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य मुख्य आयुक्त समिति का गठन कर समिति की अनुशंसा एवं भारत स्काउट एवं गाइड के नियमों के परिपेक्ष्य में ए.एस.ओ.सी. कार्यालय समाप्त करने का निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है।

कार्यवाही –राज्य सचिव

2. श्री आर.एन.तिवारी ने कहा कि एल.टी./ए.एल.टी./प्रशिक्षकों को मानदेय/लाभ दिया जाना चाहिये जिससे वह लगन/तत्परता से कार्य करें ।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

राज्य मुख्य आयुक्त ने कहा कि कितनी संख्या है प्रोत्साहन हो एवं इन्हें लक्ष्य भी दिया जावे। श्री डी. एस. राघव ने कहा कि प्रोत्साहन से क्वालिटी इंप्रूव होगी ।

डॉ आर एस तिवारी ने कहा कि राज्य मुख्यालय से एल.टी./ए.एल.टी./प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन हेतु कुछ नहीं दिया जाता है । इस दिशा में विचार होगा लेकिन ट्रेनर दल संचालित की दिशा में सक्रिय हो ।

संयुक्त राज्य सचिव ने कहा कि अभी जो योजना है हम उसी दिशा में सक्रिय है हर व्यक्ति के लिये वारंट/चार्टर अनिवार्य हो।

3. **श्री आलोक खरे** ने कहा कि मुख्यालय में पदाधिकारियों की पूरी जानकारी रखी जावे । आवश्यकता पड़ने पर विधान सभा के प्रश्न के समय जानकारी अधूरी प्राप्त होती है इस हेतु सम्बन्धित कक्ष/स्थापना कक्ष द्वारा पूर्ण जानकारी भेजी जावे ।

4. **श्रीमती रमा मिश्रा** ने कहा कि जिला संघ चुनाव के दौरान डी.ई.ओ. ने बिना सूचना के बीच चुनाव में मुझे हटा कर नई नियुक्ति कर दी गई । नई कमेटी बना दी गई जबकि मेरे पास वारंट है । इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही हो । **श्री आर.के.तिवारी** ने कहा कि सतना जिला संघ के चुनाव नियमानुसार नहीं हुए जिला कमिश्नर के द्वारा मांगी गई रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं हुई प्रदेश के द्वारा मान्य निर्वाचन अधिकारी ने मनमाने तरीके से चुनाव कराये । विकासखंड के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची में नहीं शामिल किया गया ।जिला कमिश्नर–गाइड के असहयोग से विषम स्थितियाँ पैदा हुई । अन्ततः कार्यकारिणी की बैठक में जिला संघ सतना को भंग करने का निर्णय लिया गया । श्रीमती रमा मिश्रा ने शिक्षा विभाग के समानान्तर कार्यालय चलाया एंव कमरे में निर्वाचन कराया तथा जिला शिक्षा अधिकारी व स्काउट कमिश्नर की उपेक्षा की गई । कृपया इस गंभीर विषय पर सोचा जावे।

निर्णयः– राज्य मुख्य आयुक्त ने निर्देश दिये कि राज्य मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय, तथा जिला संघ की समस्त जानकारी अपडेट रखे अगर किसी भी शाखा में कोई जानकारी अधूरी है तो उसे शीघ्र पूर्ण करा लिया जावे एवं जिला संघ सतना की जाँच कराकर प्रकरण का निराकरण नियमानुसार किया जावे।

कार्यवाही–एस.ओ.सी.(जी) एवं एस.टी.सी.(एस)

श्री रमेश चन्द्र शर्मा ने कहा कि जिला कार्यकारिणी के द्वारा निर्धारित नाम जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बदल दिये गये जो गलत था इस पर विचार किया जावे ।

5. **श्री आर.के.तिवारी** ने कहा कि स्काउटिंग के लिये विकासखंड में चुनाव कराये जावे वहाँ पर कोई फंड नहीं हे अतः स्काउटिंग कैसे चलाई जावे ।विकासखंडों को सक्रिय किया जावे।वहाँ कोई काम करने वाला नहीं है वहाँ पर आनरेरी कार्य करने वालों की नियुक्तियाँ हो तभी स्काउटिंग चल सकती है क्योंकि पत्रों का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है ।

निर्णयः–सभी विकासखंडों पर चुनाव कराये जावे एवं विकाससंघ संघों को सक्रिय किया जावे।

कार्यवाही –एस.ओ.सी.(जी)

6. **श्री प्रदीप वैश्य** ने कहा कि त्रैवार्षिक निर्वाचन के दौरान संस्था के सम्मानीय पदाधिकारियों ने राज्य सचिव से र्दुव्यवहार किया है जो समाचार पत्रों में भी छपा है । ऐसे पदाधिकारियों के आचरण एवं उक्त घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो के लिए एक जाँच समिति का गठन हेतु राज्य मुख्य आयुक्त को अधिकृत किया जावे एंव गठित समिति प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही हो।

निर्णयः–त्रैवार्षिक निर्वाचन 2013 में संस्था के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा राज्य सचिव के विरूद्ध की गई अभद्रता की जाँच हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्य (1)श्री प्रकाश हेडाऊ , उपाध्यक्ष(2) श्रीमती सरोज राजपूत, उपाध्यक्ष (3) श्री के.पी.सिंह, राज्य आयुक्त–स्काउट होंगे ।

कार्यवाही –राज्य सचिव

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

7. **श्री प्रदीप वैश्य** ने कहा कि कर्मचारियों का स्थानान्तरण होने पर वह राजनैतिक दबाव डालते हैं। इस पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही हो । श्री डी.एस.राघव ने कहा कि उनकी गोपनीय चरित्रावली पर अंकित किया जावे ।

निर्णयः—जो कर्मचारी/अधिकारी स्थानांतरण/पदस्थापना या अन्य किसी कार्य हेतु राजनैतिक दबाव डालते हैं उन्हें तत्काल निलंबित कर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे ।

कार्यवाही —स्थापना कक्ष प्रभारी

8. **श्री भवानीशंकर शर्मा** ने कहा कि राज्य मुख्य आयुक्त पुनः निर्वाचित हुये है एवं कार्यकारिणी सदस्य पुनः विजयी होकर आये हैं इस हेतु सभी को बधाई देता हूँ मेरा सुझाव है कि एक कार्यकारिणी बैठक माननीय राज्य मुख्य आयुक्त के संसदीय क्षेत्र खजुराहो में आयोजित की जानी चाहिये पूर्व में भी ऐसा विचार किया गया था, परन्तु बैठक आज तक नहीं हो पाई है ।

निर्णयः—राज्य मुख्य आयुक्त ने कहा कि आगामी कार्यकारिणी बैठक खजुराहो में आयोजित होगी एवं दो दिन का कार्यक्रम रहेगा जिसमें सदस्यों का स्थानीय भ्रमण भी होगा । साथ ही भविष्य की राज्य कार्यकारिणी/राज्य परिषद की बैठक भी भोपाल से बाहर आयोजित की जावे। इस हेतु संस्था के पदाधिकारियों से पूर्व से चर्चा कर तैयारी की जावे ।

कार्यवाही—राज्य सचिव

9. **श्री प्रकाश दिसोरिया** ने अप्रैल 2013 के अतिंम सप्ताह में राज्य प्रशिक्षण केन्द्र गांधीनगर, भोपाल में होने वाले मिनी जंबोरेट कार्यक्रम की जानकारी देते हुये अवगत कराया कि कार्यक्रम 25 से 29 अप्रैल 2013 तक होगा एवं 28 अप्रैल 2013 को समापन कार्यक्रम है **जिसमें आप सभी सादर आंमत्रित है** ।

राज्य मुख्य आयुक्त ने कहा कि सभी पदाधिकारी व्यक्तिगत नंबर कार्यालय को उपलब्ध करवायें एवं कार्यालय से भी सभी पदाधिकारियों को कार्यक्रमों की सूचना प्रदान की जावे।

कार्यवाही—कार्यालय अधीक्षक

बिन्दु क्र.—10 — अध्यक्षीय उद्बोधन :—

कार्यकारिणी बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों, सदस्यों एवं विशेष आंमत्रितों को सम्बोधित करते हुये श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला, राज्य मुख्य आयुक्त ने कहा कि द्वितीय सोपान की यह प्रथम बैठक है पूर्व सत्र में की गई कार्यवाही के परिणाम सामने हैं आज की बैठक बहुत अच्छे माहौल में हुई है । कार्यभार संभालने के पूर्व की अव्यवस्थाओं को दुरूस्त करने में समय लग गया। वर्तमान में टीम अच्छी है अब हम परिणाम दे रहे हैं एवं हमारी कार्यशैली सभी पहचानने लगे हैं । हम सभी एकमत होकर आंदोलन को ऊँचाईयों पर ले जावेंगे । संस्था में स्टाईपेंड/आर्थिक लाभ की सुविधा नहीं है क्योंकि यह आंदोलन है जिसे हमें सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाना है इसका उद्देश्य एवं भाव बहुत अच्छा है ।आपसे प्राप्त प्रस्ताव विकास से सम्बन्धित है हमें आपसे महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुये हैं श्री डी.एस.राघव जी को मार्गदर्शक एवं सलाहकार के रूप में रखते हुए उनका मार्गदर्शन लिया जावेगा । बच्चों के बीच कार्य करते हुए हम उन्हें राष्ट्रीयता एवं नैतिकता की शिक्षा देते हैं हमें भी उनके समान प्रफुल्लित होना चाहिये।

आगामी कार्यकारिणी बैठक खजुराहो में होगी एवं तत्पश्चात् बैठके अलग—संभागों में भी हो इस पर विचार किया जावे, बैठकों में सम्मिलित होने हेतु पदाधिकारियों को अपने संसाधनों से पहूँचना होगा । आपके सहयोग से हमारा भविष्य निःसंदेह अच्छा होगा। धन्यवाद । बैठक को संबोधित करते हुए श्री डी. एस.राघव ने कहा कि सम्मान के योग्य श्री बुंदेला जी के आश्य अनुसार हम सभी संकल्पित होकर कार्य करें । प्रबंधन बहुत सारी समस्याओं से वाकिफ है । सदन ने राज्य मुख्य आयुक्त की बातों को गंभीरता से लिया है । मेरे द्वारा जो संभव होगा। सहयेाग दिया जावेगा । श्री बुंदेला जी द्वारा मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया गया है उस हेतु में उन्हें धन्यवाद देता हूँ ।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

बिन्दु क्र.–11 – धन्यवाद :–

श्री प्रदीप वैश्य, राज्य कोषाध्यक्ष ने कहा कि माननीय राज्य मुख्य आयुक्त एवं सांसद महोदय के इच्छानुसार हम सभी मिलजुल कर कार्य करेंगे एवं पूर्णतः सहयोग करेंगे । मैं बैठक में पधारे सभी पदाधिकारियों, सदस्यों एवं आंमत्रित सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ और इस हेतु धन्यवाद की वह बैठक में पधारें एवं उत्साह से कार्यवाही में भाग लिया, पुनः धन्यवाद ।

(जी. आर.शर्मा)
राज्य सचिव

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com